उपसभापतिः ऐसा है सिकन्दर बख्त साहब, यह एश्योरेंस तो मैं आपको दे सकती हूं कि यह मालूमात करूं कि गवर्नमेंट कब तक आकर रिएक्ट करेगी। मगर गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करेगी यह मेरे अख्तियार में तो नहीं है I am in no position.

श्री सिकन्दर बख्तः परसों हाउस खत्म होने वाला है **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, she has come. ...*(Interruptions)* I can talk about the running of the House. I cannot talk about the policies of the Government. This is beyond my work.

SHRIMATI MARGRET ALVA: Madam, the Government will respond in both the Houses of Parliament sometime tomorrow afternoon.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Tomorrow afternoon. O.K. Now. how much time has been ...*(Interruptions)*

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, I have been raising my hand for a long time. I crave your indulgence. What has happened has happened. Many of them were in the Government and many of them were Ministers. There are urgent issues we are all concerned about, but this is not the way. Let it be a one-time incident. It should not be a precedent in this House. They cannot force like they have done today. I accept it is a very serious matter. The Government should react, but this is not the way. You are sitting here. Immediately you react, Mr. Salman Khursheed. He is a Minister. He has to coordinate.

DR. BIPLAB DASGUPTA: I will also respond to it, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I im not allowing.

DR. BIPLAB . DASGUPTA: Why, Madam?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do not argue. He has a right to speak.

DR. BIPLAB DASGUPTA: But I also have a right. This is not the way.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The whole morning you have been speaking enough. No, please. I will identify you The whole morning when everybody was speaking, Mr. Hanumanthappa was quiet. The moment he has opened his mouth you object.

DR. BIPLAB DASGUPTA: After he finishes you allow me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will not allow you. If you argue with me, I will identify you and name you. Enough is enough. ...*(Interruptions)* Hanumanthappa Ji, I have understood what you mean.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: If they do not obey, they should be punished.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not going to allow this to happen again. You know it. This is not the way.

Forcible Conversion of Young Girls as Jain Saints

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): मैं एक बहुत ही दुखद घटना की ओर आपका, सदन का और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हम जानते हैं कि धर्म हमको सहिष्णुता सिखाता है, धर्म हमको इस दुनिया में और परलोक में जाने का रास्ता भी बताता है। इस दुनिया में ठीक से कैसे जीना चाहिए वह सिखाता है। लेकिन आजकल धर्म के नाम पर विचित्र घटनाएं हो रही हैं। महोदया, मुझे आज ही जानकारी मिली है राजस्थान की एक घटना मैं बताना चाहती हूं। हम जानते हैं सन्यास भी लोग लेते हैं, कम उम्र में लेते हैं ज्यादा उम्र में भी लेते हैं। भगवान बुद्ध ने भी सन्यास लिया। राजा के लड़के थे, घर छोड़ कर चले गए, दुनिया की मुक्ति के लिए, इस तरह से सन्यास बहुत लोग लेते हैं अपनी मुक्ति के लिए, दुनिया को मुक्ति की राह दिखाने के लिए। लेकिन मैं जिस घटना के बारे में जिक्र करना चाहती हूं वह ऐसी घटना है जहां जबर्दस्ती सन्यास दिलाया जाता है जिसको हम बाल वैराग्य कह सकते हैं। यह 21 फरवरी की सवाई माधोपुर की घटना है। सवाई माधोपुर में पूरे शोर-शराबे के साथ जश्न मनाकर 7 लड़कियों को जैन धर्म के तहत सन्यासिनी बनाया जा रहा था। उसमें से एक लड़की ममता है। कम उम्र की लड़कियां थीं और नाबालिग लड़कियां थीं। ममता की मां विमला देवी और उनके परिवार वालों ने आपत्ति भी की थी। बाप बहुत गरीब

है। पास के गांव के रहने वाले हैं। छोटी सी पंसारी की उनकी दुकान है जहां चावल, दाल, आटा वगैरह बेचा जाता है। यहां से उस लड़की को लाया गया तथा और भी इसी तरह से घर से लड़कियों को लाया गया था। वह दीक्षा समारोह चल रहा था। मां वहां गई।

[उपसभाध्यक्ष (**श्री सतीश अग्रवाल**) पीठासीन हुए]

मां ने कहा मुझे बेटी से मिलने दो 15-20 हजार की भीड़ थी। बाजा-गाजा हो रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था। मां ने जब मिलना चाहता तो मां को मिलने नहीं दिया गया और दुखद मां बार-बार कहने लगी कि मेरी बेटी को सन्यासिनी न बनाओ, लेकिन वह बात भी सुनी नहीं गई। अंत में मां ने अपने ऊपर कैरोसिन तेल उड़ेल कर उसी सभा स्थल पर आग लगा ली। 60 परसेंट बर्न के साथ बाद में उसको अस्पताल पहुंचाया गया और 6 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर पुलिस, प्रशासन सारे लोग थे, किसी ने कुछ नहीं किया।

महोदय, यह घटना क्यों घटी? किसी को कोई सन्यासी बनाए या बन जाए, इसमें हमें आपत्ति नहीं है, आपत्ति यह है कि इस तरह की घटनाएं आज भी क्यों हो रही हैं? किस परिस्थिति में हो रही है? क्या सरकार कभी इसके ऊपर विचार करेगी? सतीदाह होता है आज भी हमारे देश में सती प्रथा चालू है। आज भी घर में लड़किया जलाई जाती हैं। हमेशा लड़कियों के ऊपर ही क्यों जबर्दस्ती होती है? क्या सरकार इसके ऊपर कुछ विचार करेगी? ऐसी घटनाओं, खास करके यह जो मैंने 21 फरवरी की सवाई माधोपुर की घटना बताई है, क्या सरकार इसके ऊपर कोई जांच करायेगी? संयोग है कि आज यहां गृह राज्य मंत्री बैठे हुए हैं सईद साहब, मैं तो उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि वह इस बात का नोटिस लें और इसकी जांच कराएं, दोषी को सजा दिलाएं और आगे चल कर इस तरह की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति न हो इसके बारे में भी कठोर कदम उठाएं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा नारियों पर जितने अत्याचार होते रहते हैं उतने शायद किसी पर नहीं होते। धर्म के नाम पर कभी औरतों की बलि दी जाती है, धर्म के नाम पर कभी औरतों को सती बनाया जाता है और सवाई माधोपुर की जिस घटना का अभी यहां जिक्र किया गया उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह कहूंगी कि कुमारी ममता को जो जबरन साधवी बनाया गया वह भी एक प्रकार से जबरन सती बनाने की घटना से समरूप ही है। सरकार इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि एक कुमारी लड़की को 16 साल की नाबालिग बच्ची को किस तरह धर्म के नाम पर जबरन साधवी बना दिया जाता है, क्या यह एक तरह से उसकी हत्या नहीं है, उसके जीवन की हत्या नहीं है? उपसभाध्यक्ष महोदय, उसकी मां रोती हुई 20 हजार लोगों की भीड़ के सामने जाती है और कहती है कि मुझे अपनी बच्ची से सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि वह साधवी बने। जब उस बच्ची के बाल जबरन नोचे जा रहे थे। उस मां से देखा नहीं गया और उसकी मां ने अपने ऊपर किरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली।

1.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस और प्रशासन जोकि वहां पर बैठे हुए थे, वह जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या राजस्थान की सरकार जिम्मेदार नहीं है जिसके कि प्रशासनिक अधिकारी वहां बैठे हुए थे? महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि कुमारी ममता रूपकंवर के रूप में एक बार फिर सती बनायी गयी है और सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इस हाउस में बयान देना चाहिए कि क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं और वे कौन से प्रशासन के अधिकारी थे जोकि वहां चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। बीस हजार लोगों के सामने एक औरत जलकर मर गयी। वहां तमाम नाबालिग बच्चियां थीं और जिन 7 बालिकाओं को दीक्षांत समारोह के अवसर पर साध्वी बनाया गया, उनमें से 3-4 तो बाहर भी जा चुकी हैं। उनका प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिलने आया था। जिस परिवार के साथ यह घटना घटी, उस परिवार के लोग मेरे पास आए थे और वह रो रहे थे कि किस तरह से हमारी बुआ ने बार-बार कोशिश की अपनी बच्ची को बचाने की, लेकिन वह नहीं बच सकी क्योंकि हमारी सरकार, पुलिस और प्रशासन के कान पर कभी जूं नहीं रेंगती जब तक कि इस तरह की अनहोनी और अमानवीय घटना न घट जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और उसके लिए क्या सरकार इन जबरन

नाबालिग बच्चियों को साध्वी बनाए जाने पर रोक लगाएगी? उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हमारे समाज में बाल-विवाह पर रोक है तो इस पर भी क्यों न रोक लगाई जाए?

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल: महोदय, मैं भी अपने को इससे सम्बद्ध करती हूं।

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Mr. Bapu Kaldate. Your name is the first as far as the Special mentions arc concernd. Smt. Sarala Maheshwari has requested me that she be given priority because she is not feeling well.' If you have no objection. 1 can ask her to speak now.

DR. BAPU KALDATE: no problem. Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Smt. Sarala Maheshwari. You are not feeling well. So, Please be brief.

Need to Set up Writers Welfare Fund

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह विशेष उल्लेख का प्रस्ताव ''लेखक कल्याण कोष'' की स्थापना के संबंध में है।

महोदय, सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद ने कहा था कि समाज में जो कुछ सुंदर और पवित्र है, साहित्य उसी की प्रतिमूर्ति है। समाज के इन सुंदर और पवित्र मूल्यों को ढालने, उनको सहेजने और विकसित करने का काम करने वाले कलम के सिपाही हमारे समाज के लेखक लेकिन कितने वंचित प्रताड़ित और लांछित हैं, इसकी सहज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महोदय, ''मैला आंचल'' और ''परती परिकथा'' के महान कथाशिल्पी फनीश्वर नाथ रेणु की पत्नी ने हाल ही में दूरदर्शन के ''परख'' कार्यक्रम को दिए गए एक साक्षात्कार में आंतरिक वेदना से कहा था कि मैं चाहूंगी कि मेरे घर में और कभी कोई लेखक पैदा न हो।

महोदय, हमारे समाज में लेखकों की यह स्थिति इस समाज के अन्यायपूर्ण ढांचे पर ही एक कड़ी टिप्पणी है। व्यवस्था का स्वरूप लेखकों के प्रति हमेशा ही निर्दयी उदासीनता का रहा है क्योंकि लेखक स्वभावतः व्यवस्था-विरोधी होता है। इसीलिए खूबसूरत शफीलों में बंदी हमारी व्यवस्था कभी भी लेखक की अंदरूनी जिंदगी की ओर झांकने की चेष्टा नहीं करती। और सिर्फ हमारे यहां ही नहीं, सभी जगह लेखकों के संदर्भ में हम व्यवस्था का यही रूख देखते हैं।

महोदय, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार ग्रेवियल मारक्वेज ने कुछ वर्षों पहले अपने पुस्तक ''इंहेड इयर्स ऑफ सालिच्यूड'' जिसकी प्रतियों की बिक्री ने रिकार्ड तोड़ दिया, में कहा था कि यह पुस्तक बहुत अच्छी हुई होती अगर मेरे पास इसें लिखने का और वक्त होता, लेकिन कर्ज के बढ़ते हुए बोझ तथा महाजन की तरह प्रकाशक के दबाव ने मुझे इसे किसी तरह खत्म करने को मजबूर कर दिया। महोदय, हमारे यहां स्थिति और भी विकट है। एक लेखक संघ से जुड़े होने के नाते और एक लेखक परिवार से जुड़े होने के नाते लेखकों के जीवन की पीड़ा को मैंने बहुत निकट से भोगा है और आज के इस माध्यमों के युग में जहां की पूरी संस्कृति का माध्यमीकरण हो रहा है वहां सृजनात्मक लेखन के लिए तो स्थितियां और भी विकट होती जा रही हैं। पाठक और लेखक के बीच का रिश्ता टूटता जा रहा है। पुस्तकें छपती नहीं, छपती हैं तो बिकती नहीं हैं और बिकती हैं तो लेखक को उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती। हमारे कानून भी लेखकों के साथ न्याय नहीं करते।

महोदय, संपत्ति संबंधी अन्य तमाम कानूनों में संपत्ति की पूर्ण विरासत को स्वीकारा गया है। किसी भी संपत्ति के वारिश को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। लेखन जो लेखकों की संपत्ति होती है, उसे इस प्रकार की पूर्ण स्वीकृति हासिल नहीं है जो अन्य प्रकार के मामलों में दी गयी है। इससे एक बहुत बड़ा कोष तैयार हो सकता है। इस कोष के जरिए लेखकों की पांडुलिपियों को प्रकाशित करने में अनुदान आदि से शुरू करके लेखक समाज को हर प्रकार की राहत प्रदान करने का काम किया जा सकता है। यह योजना हर पुस्तक पर लागू होनी चाहिए, वह चाहे धार्मिक पुस्तक हो, वैज्ञानिक विषयों से संबंधित पुस्तक हो या अन्य किसी भी विषय से संबंधित पुस्तक क्यों न हो। इससे यह कोष एक विशाल कोष का रूप ले सकेगा तथा रायल्टी कानून से हम जो उम्मीद करते हैं कि वह लेखक के अपने जीवन-काल में, उसके लेखन-कार्य में सहयोगी बने, वह उम्मीद भी काफी हद तक पूरी हो सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तत्काल इस आशय की पूरी योजना बनाकर पेश करनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन से निवेदन है,